संख्या-948/2025/39/22-2-2025-17(684)/2019

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 31 जुलाई, 2025

विषय:- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी अरूण सिंह उर्फ राजेश भदौरिया पुत्र श्री बेताल सिंह, निवासी जनपद-कानपुर नगर की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक, (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-555/प्रो0अनु0(2)-283/2024/(बैठक दिनांक 31.12.2024), दिनांक 03.01.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी अरूण सिंह उर्फ राजेश भदौरिया पुत्र श्री बेताल सिंह, जो 111ए/392 अशोक नगर, थाना-नजीराबाद, जनपद-कानपुर नगर का निवासी है। दिनांक 30.10.2001 को मकान पर कब्जा किये जाने को हुयी दो गुटो में रंजिश के कारण बंदी ने अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर राइफल, रिवाल्वर, तमंचा से हमला कर चक्रेश व आशू नामक 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या- 527/2002, 528/2002 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा० सत्र न्यायाधीश, कानपुर नगर के आदेश दिनांक 06.01.2004 द्वारा मृत्युदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 01.11.2004 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 11.12.2024 के अनुसार रिहाई दिनांक 23.03.2019 तक बंदी द्वारा अपरिहार 15 वर्ष, 11 माह, 28 दिन तथा सपरिहार 19 वर्ष, 04 माह, 01 दिन की सजा भोगी गयी है। दिनांक 23.03.2019 तक बन्दी की आयु लगभग 51 वर्ष है।

पुलिस उपायुक्त (सेन्ट्रल) एवं जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर द्वारा बंदी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित होने, पुनः अपराध कर सकने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, परिवार की सामाजिक-आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। किमिनल रिट याचिका सख्या-48/2014 भारत संघ बनाम वी० श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में मा० उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.12.2015 के अनुपालन में मा० दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने अभिमत दिनांक 05.12.2024 द्वारा बंदी को समयपूर्व रिहाई स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में इस न्यायालय का कोई प्रतिकूल अभिमत नहीं है। उपरोक्त स्वीकृति जेल मैनुअल नियमों के अधीन प्रदान किये जाने की आख्या अंकित की गयी है।

सलाहकार समिति का अभिमत है कि दिनांक 30.10.2001 को मकान पर कब्जा किये जाने को हुयी दो गुटो में रंजिश के कारण बंदी ने अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर राइफल, रिवाल्वर, तमंचा से हमला कर चक्रेश व आशू नामक 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी। मा० उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में पुलिस उपायुक्त (सेन्ट्रल) एवं जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गई है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि बन्दी को कारागार से रिहा करने पर समाज में भय का वातावरण व्याप्त होगा तथा लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर पुलिस उपायुक्त (सेन्ट्रल) तथा जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर की आख्या/ संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रकार समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त मत स्थिर करते हुये बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता व बन्दी को कारागार से रिहा करने से समाज में भय का वातावरण व्याप्त होने, लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने एवं बंदी दिनांक 23.03.2019 को जमानत/मुचलके पर रिहा होने के दृष्टिगत सी०आर०पी०सी० की धारा-432 द०प्र०सं० के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी अरूण सिंह उर्फ राजेश भदौरिया पुत्र श्री बेताल सिंह को उ०प्र० जेल मैनुअल प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की गयी है।**

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी अरूण सिंह उर्फ राजेश भदौरिया (बन्दी संख्या-14956) पुत्र श्री बेताल सिंह, निवासी जनपद-कानपुर नगर की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

संख्या-948/2025/39(1)/22-2-2025 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।